

प्रारूप - 25

परियोजना का नाम - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गुजर बस्ती पेयजल योजना

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 80.00 कि०मी० है।


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम
बया चकराता (पुरोही)


उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता जं प्रभाग
कालसी


प्रभागीय वनाधिकारी
ह०/-
चकराता वन प्रभाग
चकराता (दिहरादूंग)

प्रारूप - 26

परियोजना का नाम - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गुजर बस्ती पेयजल योजना

परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी० की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना होगा।

बागू वदी

ह०/-
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

प्रारूप - 27

परियोजना का नाम - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गुजर बस्ती पेयजल योजना

परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति

नोट- लागू होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न की जाये।

लागू नहीं